पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने राज्य विधान मण्डल का सत्रावसान किया

लखनऊः 6 अप्रैल, 2018

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने राज्य विधान मण्डल के सत्रावसान के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। ज्ञातव्य है कि विधान सभा की बैठकें 27 मार्च 2018 तथा विधान परिषद की बैठकें 28 मार्च 2018 के उपवेशन के पश्चात अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गयी थी।
उल्लेखनीय है कि 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के अधीन राज्यपाल को राज्य विधान मण्डल के सदनों को समय-समय पर सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त हैं।

अंजुम/ललित/राजभवन (140/12)